न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 57/2026

मोहसीन राशीद खान निवासी राज टाकीज रोड, वार्ड नं. 19 टोंक जिला टोंक राज0
—अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 02.06.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 01.04.2026 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :—

मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविधालय किसी भी निजी महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाती है तो उसकी अनिवार्य शर्त है कि उस महाविद्यालय में अत्याधुनिक CCTV कैमरे लगे हुए होना चाहिए एवं चालू होना चाहिए जिस से परीक्षा में नकल एवं दूसरी गेर क़ानूनी गतीविधियों को रोका जा सके, एवं छात्र और खास करके छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, इसी संदर्भ में मैंने छात्र हित एवं सामाजिक हित को मध्यनजर रखते हुए निम्न लिखित परीक्षा केंद्रों की परीक्षा की CCTV सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी, क्यूंकि मुझे शिकायतें मिली की काफी महाविद्यालय ने MDS विश्वविधालय के कड़े निर्देशों के बावजूद सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं की ताकि उनके कुछ खास छात्र को नकल करायी जा सके, जो की समाज के लिए एक अभिशाप की भांति है, इसी लिए मैंने सर्व हित, परीक्षाओं में नकल कराने वाले महाविद्यालयों और शिक्षकों पर उचित कानूनी कार्यवाही कराने एवं सबूत के साथ इसकी शिकायत सरकार को करने की नियत से निम्न लिखित महाविद्यालयों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविधालय से मांगी थी, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविधालय ने पत्र क्रमांक 34202 जो की संलग्न है में मुझे यह निर्देशित किया कि, मैं संबंधित महाविद्यालय से उक्त रिकॉर्डिंग माँग सकता है, अतः आपके समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की सूचना के अधिकार के तहत निम्न लिखित सूचना उपलब्ध कराएं एवं इन समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित करें की उक्त CCTV रिकॉर्डिंग एक साक्ष्य है, एवं सरकारी दस्तावेज़ है इसे नष्ट ना करें बल्की इसे संभाल के रखें।

कृपया करके निम्नलिखित बिंदुवार जानकारी जिस प्रारूप में हो उपलब्ध कराएं—

1. बी ए पार्ट 3 एवं बी एस सी पार्ट 3 (ड्यू पेपर परीक्षा 2026) की विश्वविधालय द्वारा फरवरी 2026 में जो परीक्षाएँ प्रारम्भ की गई है उन परीक्षाओं के लिए टोंक जिले में संचालित निजी महाविद्यालयों में से

2. अंबेडकर महाविद्यालय, 2. संस्कार कॉलेज पीपलू, 3. सेंट सोल्जर महिला महाविद्यालय, 4. शिवाजी महाविद्यालय, 5 लालिमा महाविद्यालप. 6. नेहरू कॉलेज 7 संस्कृति कॉलेज 8 अभिज्ञान महाविद्यालय एवं 9. शिव महाविद्यालय दूनी टोंक, जो की परीक्षा केंद्र है.

जिला कलेक्टर
टोंक

848

की परीक्षा के समय की सम्पूर्ण परीक्षा दिवस की CCTV रिकॉर्डिंग देने की कृपया करें।

2. एम ए परीक्षा 2026 की विश्वविधालय द्वारा फरवरी 2026 में जो परीक्षाएँ प्रारम्भ की गई है उनके टोक जिले में संचालित समस्त निजी महाविद्यालयी जिनको परीक्षा केंद्र बनाया गया है उन सभी के परीक्षा केंद्र की परीक्षा के समय की सम्पूर्ण परीक्षा दिवस की CCTV रिकॉर्डिंग देने की कृपया करें।

उक्त प्रत्येक परीक्षा केंद्र की CCTV रिकॉर्डिंग के लिए पेन ड्राइव कप खर्चा में स्वयं देने के लिए राजी हूँ, एवं मेरे द्वारा मांगी गई समस्त सूचना विभाग को जनहित के लिए सार्वजनिक करने की पूर्ण अनुमति देता हूँ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 993 दिनांक 12.05.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 174 दिनांक 25.05.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक से होने से उनके पत्र क्रमांक 239 दिनांक 06.04.2026 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र क्रमांक 240 दिनांक 06.04.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
जिला कलेक्टर
प्रथम अपील अधिकारी
टोंक
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)